रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2004/आषाढ़ 10, 1926
No. 590] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2004/ASADHA 10, 1926

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2004

का.आ. 758(अ).— जबकि केन्द्र सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के तहत स्थायी सलाहकार समिति (एस.ए.सी.)की सिफारिशों पर विचार करते हुए, ऐसी वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा उसका कुछ प्रतिशत आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उन पटसन पैकेजिंग सामग्री में आपूर्ति अथवा वितरण किए जाने के प्रयोजन से विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत है ।

और, जबकि केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2004-05 के लिए पटसन सामग्री में पैकेजिंग के मानदंडों की सिफारिश करने के लिए 8 अप्रैल, 2004 के सा.आ. 479 (ई) द्वारा स्थायी सलाहकार समिति का गठन कर दिया है ।

और, जबकि स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसीलिए स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के तहत पैकेजिंग के मानदंडों को अंतिम रूप देने में केन्द्र सरकार को कुछ और समय लगेगा ।

और, जबकि केंद्र सरकार स्थायी सलाहकार समिति के गठन और सिफारिश तक उपर्युक्त अधिनियम की धारा-3 (1) के प्रावधान के तहत आदेश जारी करने के लिए भी अधिकृत है जिसमें यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि ये वस्तुएं अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा उनका कुछ प्रतिशत उपर्युक्त प्रावधान में उल्लिखितानुसार एक सीमित अवधि के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाए ।

इसलिए, अब पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 जुलाई, 2004 तक नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को इस अनुसूची के कालम (3) में तद्नुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार न्यूनतम प्रतिशत में आपूर्ति अथवा वितरण के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाए :

अनुसूची

क्रम संख्या	वस्तुएं	भारत में उत्पादित कच्चे पटसन से भारत में विनिर्मित पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं अथवा श्रेणी की वस्तुओं के कुल उत्पादन का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
(i)	खाद्यान्न	साठ प्रतिशत (60 %)
(ii)	चीनी	पचास प्रतिशत (50 %)

यदि पटसन पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो वस्त्र मंत्रालय संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालयों से परामर्श करके इन प्रावधानों में अधिकतम 20 प्रतिशत तक की छूट दे सकता है ।

2. खाद्यान्न और चीनी के संबंध में 10 किग्रा. और उससे कम के छोटे उपभोक्ता पैकों तथा निर्यात पैकिंग पर इस आदेश के लागू होने से छूट दी जाएगी ।

3. " विटामिनयुक्त परिपुष्ट चीनी" को इस आदेश के सीमा क्षेत्र से छूट दी जाएगी ।

(फा.सं. 9/15/2003-पटसन)

[फा. सं. 9/15/2003-पटसन]

अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 1st July, 2004

S.O. 758(E).— Whereas the Central Government under Section 3 (1) of the Jute Packaging Material (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 is empowered to specify such Commodities or class of Commodities or such percentage thereof shall be packed for the purpose of its supply or distribution in such jute packaging material as may be specified in the order, considering the recommendations of the Standing Advisory Committee (SAC).

And, whereas, the Central Government, in exercise of power conferred under Sub-section (1) of Section 4 of the said Act, has constituted the Standing Advisory Committee (SAC) vide No.S.O.479 (E) dated 8th April, 2004 to recommend the norms of packaging in jute material for the year 2004-05.

And, whereas, the recommendations of the SAC are under process of finalisation and hence, it will take some more time for the Central Government to finalise the norms of packaging under the JPM Act, 1987, based on the recommendations of the SAC.

And, whereas, the Central Government is also empowered under proviso to Section 3 (1) of the aforesaid Act, pending the constitution and recommendation of the SAC, to issue order, specifying such commodities or class of commodities or such percentage thereof to be packed in jute packaging material for a limited period as mentioned in the said proviso.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby directs that the commodities specified in column (2) of the Schedule below shall be packed in jute packaging material for supply or distribution in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the said Schedule from the date of publication of this notification in the Official Gazette to the 31st July, 2004.

SCHEDULE

Sl.No.	Commodities	Percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute, produced in India.
(1)	(2)	(3)
(i)	Foodgrains	Sixty per cent (60%)
(ii)	Sugar	Fifty per cent (50%)

In case of any disruption in supply of jute packaging material, Ministry of Textiles may, in consultation with the user Ministries concerned, relax these provisions upto a maximum of 20%.

2. Small consumer packs of 10 kilograms and below and export packing in respect of foodgrains and sugar shall be exempted from the operation of this order.

3. 'Sugar fortified with vitamins" shall be exempted from the purview of this order .

[F. No. 9/15/2003-Jute]
ATUL CHATURVEDI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.